न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 134 / 2022
निर्णय दिनांक: 02.02.2024

उनवान

1. रवि बालभारती शिक्षा समिति ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर रजि. न. 249 / जयपुर / 2001–2002 जरिये सचिव रामलाल जाट पुत्र श्री किशन लाल जाट, जाति जाट, निवासी – ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास, महापुरा, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. बिरदी पत्नी स्व0 घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. लालचन्द पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रवण पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. हरिसिंह पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. अजयसिंह पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. दौलतराम पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. परमानन्द पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. महिपालसिंह पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. रमेशचन्द पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. रामनिवास पुत्र घनश्याम, जाति जाट, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. शैतान पुत्र हनुमान, जाति मीणा, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. रामस्वरूप पुत्र हनुमान, जाति मीणा, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. माया देवी पत्नी स्व0 जगदीश, जाति मीणा, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.09 16:21:39 IST
Reason: SelfAttested

14. दिनेश पुत्र स्व0 जगदीश, जाति मीणा, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15. तनिशा पुत्री स्व0 जगदीश, जाति मीणा, निवासी– ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार बगरू, पता– बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर वाके ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थी बतौर खातेदार काबिज है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735, 1747 के लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि 1734, 1736, 1746 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 1735, 1747 के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है और प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735, 1747 को नाजायज तरीके से हडपने के प्रयास करते रहते है जिसके कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि को सही प्रकार से देखभाल करने व उपयोग उपभोग करने में असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु अप्रार्थी संख्या 16 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, अप्रार्थी संख्या 16 के आदेश दिनांक 19.10.2022 की पालना में अप्रार्थी संख्या 16 के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735, 1747 का दिनांक 19.10.2022 को सीमाज्ञान किया जा चुका है जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 को है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर का सीमाज्ञान हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735, 1747 को नाजायज हडपने की चेष्टा कर रहे है और अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] दिनांक 01.11.2022 को प्रार्थी की खातेदारी कृषि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाने से इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अपनी

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2024.02.09
Reason: SelfAttest

अधिकारी

खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735, 1747 के चारो और पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाकर अपनी भूमि की सुरक्षा करना चाहते है इस कारण प्रार्थी को अपनी भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हुआ है ताकि भविष्य में पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का विवाद ना हो। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर वाके ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 15.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की ओर से श्री कैलाश शर्मा एडवोकेट ने अण्डरटेंकिग एवं मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 22.12.2022 को प्रार्थी की ओर जवाब प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 28.12.2022 को अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 05.04.2023 को तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 25.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 6 की ओर मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश किया गया। दिनांक 06.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 6 का आपत्ति प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट पुनः तलब की गई। तहसीलदार सांगानेर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस प्रार्थना पत्र पत्थरगढी सुनी गई।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्थरगढी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी का अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहा है जिसका उसको पूर्ण अधिकार है इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को आपत्ति किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है, प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipa
Date: 2024.02.09 16:21:3
Reason: SelfAttested

जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1735 पर कोई पक्का निर्माण नही होना अंकित किया है एवं खसरा नम्बर 1747 पर 15X15 फीट का टीनशेड बना हुआ है व अन्य कोई पक्का निर्माण नही होना बताया है, प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पक्षकार पड़ौसी खातेदार होने के आधार पर बनाया गया है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि के सम्बन्ध में अन्यत्र कोई अनुतोष नही चाहा गया है, इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर उपतहसीलदार बगरू को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1747 रकबा 0.12 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हैक्टेयर ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 19.10.2022 के अनुसार के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान भूमि की बेदखली हस्तगत प्रकरण में आवृत नही होगी। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खडी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात् अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें। इस आशय की तहरीर उपतहसीलदार बगरू को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Ve

Digitally signed by M
Date: 2024.02.09 16
Reason: SelfAttested